Part – I

A

न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम मामलात) **(सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान)** **पीठासीन अधिकारी – सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre)** निर्णय दिनांक – 10 मार्च, 2026 विशेष सेशन प्रकरण संख्या – 42/2024 सीएनआर संख्या – RJCH010003562024 (प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 102/2023 पुलिस थाना भालेरी चूरू)	
Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	श्री रोशन सिंह राठौड़, विशेष लोक अभियोजक चूरू
ACCUSED	1. रामवतार पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी पहाड़सर पीएस राजगढ़ जिला चूरू 2. प्रभूराम पुत्र नन्दराम उम्र 36 वर्ष निवासी नाकरासर पीएस रतननगर जिला चूरू
REPRESENTED BY	श्री सुरेन्द्र बुड़ानिया, योग्य अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

B

Date of Offence	01.07.2023
Date of FIR	01.07.2023
Date of Chargesheet	16.03.2024
Date of Framing of Charges	28.03.2025 व 05.04.2025
Date of commencement of evidence	01.08.2025
Date on which judgment is reserved	10.03.2026
Date of the Judgement	10.03.2026
Date of the Sentencing Order, if any	–

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.PC
1	रामवतार	01.07.2023	07.07.2023	136 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	01.07.2023 से 07.07.2023
2	प्रभूराम	12.07.2023	18.07.2023	136 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	12.07.2023 से 18.07.2023

PART–II
LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
पी.डब्ल्यू. 1	महेन्द्र कुमार	बरामदगी व गिरफ्तारी गवाह
पी.डब्ल्यू. 2	कृष्ण कुमार	पीछा करने व बरामदगी गवाह
पी.डब्ल्यू. 3	नरेन्द्र कुमार	अनुसन्धान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 4	बलवीर	बरामदगी गवाह
पी.डब्ल्यू. 5	औंकारमल	सूचना व बरामदगी गवाह

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

LIST OF Prosecution/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी – 1	फर्द जब्ती तार
2	प्रदर्श पी – 2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी – 3	फर्द गिरफ्तार अभियुक्त रामवतार
4	प्रदर्श पी – 4 व 4ए	नक्शा व हालात मौका घटनास्थल
5	प्रदर्श पी – 5	फर्द तस्दीक इत्तिला दफा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त रामवतार
6	प्रदर्श पी – 6 व 6ए	नक्शा व हालात मौका घटनास्थल
7	प्रदर्श पी – 7	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त प्रभूराम
8	प्रदर्श पी – 8	फर्द इत्तिला दफा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त प्रभूराम
9	प्रदर्श पी – 9	फर्द इत्तिला दफा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त रामवतार
10	प्रदर्श पी – 10	फर्द तस्दीक इत्तिला दफा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त प्रभूराम
11	प्रदर्श पी – 11	फर्द जब्ती एक टच स्क्रीन मोबाईल

12	प्रदर्श पी – 12	फर्द जब्ती एक कन्टेनर

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
–	–	–

– नि र्ण य –

दिनांक – 10 मार्च, 2026

(1) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 01.07.2023 को पुलिस थाना भालेरी के पुलिसकर्मियों द्वारा दौराने गश्त सड़क आम डालमाण से कानड़वास नजद गौशाला रोही मौजा डालमाण पर मेहरी की तरफ से आए एक कन्टेनर संख्या एचआर–57–ए–8157 आया, जिसको रूकवाकर चैक किया गया तो वाहन में चालक सहित एक और आदमी बैठा था जो पुलिस को देखते हुए भाग गया, जिसको पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन वो भागने में सफल रहा। चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामवतार पुत्र महेन्द्र होना बताया तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम प्रभूराम पुत्र नन्दराम होना बताया। कन्टेनर को चैक किया गया तो उसमें कुल 50 क्विंटल 70 किलोग्राम विद्युत लाईन के एल्यूमिनियम के तारों के बण्डल होना पाए गए। मौके पर नियमानुसार फर्द जप्ती बनाई गई। उक्त फर्द जप्ती के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 102/2023 जुर्म दफा 136 विद्युत अधिनियम में दर्ज कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसन्धान अभियुक्तगण रामवतार व प्रभूराम के विरूद्ध उपरोक्त धारा में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

(2) बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 136 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

(3) अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य अभियोजन में उक्त सारणी में वर्णित कुल 5 गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में कुल 12 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

(4) अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया

गया। जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष होना कथन किया है तथा स्वयं को निर्दोष होना बताया है। अभियुक्तगण को बचाव साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया किन्तु उनकी ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई।

(5) पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः–

1. **क्या दिनांक 01.07.2023 को 05.30 एएम या उसके लगभग ग्राम कानड़वास से डालमाणा नजद गौशाला रोही सड़क आम पर अभियुक्तगण के कब्जेशुदा वाहन संख्या एचआर 57 ए 8157 में से कुल 50 क्विंटल 70 किलोग्राम के तार बरामद हुए जो उनके द्वारा विद्युत लाईन, जो कि विभाग की सम्पत्ति है, में से काटकर चोरी करके ले जा रहे थे ?**
2. **यदि उक्त अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होना पाये जो है तो अभियुक्तगण को किस प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा ?**

(6) इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों की सिद्धि के अनुक्रम में जिन गवाहान को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है उनकी साक्ष्य का विवेचन करना उचित है, जो इस प्रकार से हैं:–

(7) गवाह पी.डब्ल्यू. 1 महेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2023 को वह एचसी के पद पर पुलिस थाना भालेरी में पदस्थापित था। इस गवाह ने बताया कि उसी दिन प्रातः लगभग 4.19 बजे वह बलवीर एवं शंकरलाल कांस्टेबल के साथ सरकारी जीप से गश्त इलाका थाना हेतु रवाना हुआ, जिनके साथ अनुसन्धान बॉक्स, लैपटॉप, बैटरी, प्रिंटर आदि भी थे। इस गवाह ने कहा कि गश्त के दौरान जब वे मेहरी गांव पहुँचे, तब औंकारमल, संदीप एवं कृष्ण कुमार कांस्टेबल, जो विद्युत लाइनों की निगरानी हेतु पूर्व में तैनात थे, मौजूद थे और उसी समय औंकारमल कांस्टेबल ने मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना दी कि कानड़वास से मेहरी की ओर एक कंटेनर आ रहा है, जिसमें संदिग्ध वस्तु हो सकती है तथा वे उसका पीछा कर रहे हैं। इस गवाह ने बताया कि उक्त सूचना पर उसने अपने साथ मौजूद कर्मचारियों को अवगत करवाया और लगभग 5.30 बजे प्रातः जब वे कानड़वास से डालमाण गांव की ओर जाने वाली सड़क पर पहुँचे, तो कानड़वास की ओर से आता हुआ कंटेनर नम्बर HR 57 A 8157 दिखाई दिया, जिसे रुकवाया गया। इस गवाह ने कहा कि कंटेनर रुकवाने पर चालक के पास बैठा एक व्यक्ति उतरकर भाग गया, जिसे पकड़ने का प्रयास किया गया, किंतु वह फरार हो गया। कंटेनर चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रामावतार निवासी पहाड़सर, तहसील राजगढ़ बताया तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम प्रभूराम निवासी नाकरासर बताया। इस गवाह ने कहा

कि कंटेनर में 400 केवी डबल सर्किट विद्युत तारों के बंडल भरे हुए होना बताया गया, जिन्हें कानड़वास की रोही से भरना बताया गया। इस गवाह ने कहा कि कंटेनर की तलाशी हेतु स्वतन्त्र मोतबीर बुलाने का प्रयास किया गया, परंतु कोई उपलब्ध नहीं हुआ, जिस पर मौके पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा आपस में तलाशी देकर कंटेनर की तलाशी ली गई, जिसमें विद्युत तारों के बंडल पाए गए। इस गवाह ने बताया कि कंटेनर के केबिन से एक मोबाइल फोन मिला, जिसे चालक रामावतार ने प्रभूराम का होना बताया। इस गवाह ने कहा कि मुलाजमान की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कांटे से विद्युत तारों का वजन किया गया, जो 50 क्विंटल 70 किलोग्राम पाया गया। इस गवाह ने बताया कि उक्त विद्युत तारों को जब्त कर कंटेनर सहित थाने लाया गया तथा कंटेनर के केबिन में मिले मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया। इस गवाह ने कहा कि मौके से अभियुक्त रामावतार को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में विद्युत लाइन के एल्युमिनियम तारों की फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2, अभियुक्त रामावतार की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–3, नक्शा मौका प्रदर्श पी–4, अभियुक्त रामावतार की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी–5 तथा नक्शा मौका तस्दीक सूचना प्रदर्श पी–6 है। अपनी **जिरह** में इस गवाह ने कहा है कि जब्तशुदा तारों पर विद्युत विभाग का कोई भी मार्का अंकित नहीं था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसके द्वारा विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी से जब्तशुदा तारों के सम्बन्ध में कोई पूछताछ नहीं की गई तथा न ही तारों की किसी प्रकार की तस्दीक करवाई गई। गवाह ने स्वीकार किया कि जब्तशुदा तारों के कुल कितने बण्डल थे, इसका कोई उल्लेख प्रदर्श पी–1 में नहीं किया गया है। इसी प्रकार, प्रदर्श पी–1 में यह भी अंकित नहीं है कि मुलजिम के पास उक्त तारों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज थे या नहीं। प्रदर्श पी–4 नक्शा मौका के अनुसार बरामदगी स्थल एक आम सड़क है, जिस पर सामान्यतः वाहनों का आवागमन रहता है, यद्यपि सुबह के समय आवागमन नहीं रहता। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि बरामदगी स्थल के सामने डालमाण की गौशाला स्थित है किन्तु स्वतन्त्र गवाह की तलबी हेतु उक्त गौशाला में नहीं जाया गया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि मुलजिम प्रभूराम का नाम वह मुलजिम रामावतार के बताने के आधार पर ही बता रहा है।

(8) गवाह पी.डब्ल्यू. 2 कृष्ण कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2023 को वह कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना भालेरी में पदस्थापित था। इस गवाह ने बताया कि उसी दिन रात्रि लगभग 12.09 बजे वह औंकारमल एवं संदीप के साथ एक प्राइवेट वाहन से थाना क्षेत्र में गश्त हेतु रवाना हुआ। गश्त के दौरान जब वे मौजा मेहरी पहुँचे, तो एक कंटेनर नम्बर HR 57 A 8157 आता दिखाई दिया, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। इस गवाह ने कहा कि उक्त कंटेनर में किसी संदिग्ध वस्तु के होने की आशंका पर औंकारमल कांस्टेबल द्वारा महेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल को दूरभाष से सूचना

दी गई। इसके पश्चात उन्होंने उक्त कंटेनर का पीछा किया और प्रातः लगभग 5.30 बजे जब वे कानड़वास से डालमाण जाने वाली सड़क पर पहुँचे, तो महेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल द्वारा कंटेनर को रुकवाया गया, जिसमें यह गवाह भी पीछे–पीछे मौजूद था। कंटेनर रुकवाने पर चालक के पास बैठा एक व्यक्ति उतरकर भाग गया, जिसका पीछा किया गया, परंतु वह पकड़ा नहीं जा सका। इस गवाह ने कहा कि कंटेनर चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रामावतार निवासी पहाड़सर, तहसील राजगढ़ बताया तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम प्रभूराम निवासी नाकरासर बताया। इस गवाह ने बताया कि पूछताछ में रामावतार ने कंटेनर में 400 केवी डबल सर्किट विद्युत तारों के बंडल भरे होना बताया, जिन्हें कानड़वास की रोही से भरना बताया गया। इस गवाह ने कहा कि कंटेनर की तलाशी के लिए स्वतन्त्र मोतबीर बुलाने का प्रयास किया गया, परंतु कोई उपलब्ध नहीं हुआ, जिस पर मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने आपस में तलाशी देकर कंटेनर की तलाशी ली, जिसमें विद्युत तारों के बंडल पाए गए। इस गवाह ने बताया कि कंटेनर के केबिन से एक मोबाइल फोन मिला, जिसे चालक रामावतार ने प्रभूराम का होना बताया। इस गवाह ने कहा कि कंटेनर में भरे विद्युत तारों के बंडलों का इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन किया गया, जो कुल 50 क्विंटल 70 किलोग्राम पाया गया। इस गवाह ने बताया कि कंटेनर के केबिन में मिले मोबाइल फोन को मौके पर जब्त किया गया तथा विद्युत तारों को भी जब्त कर उसी कंटेनर में रखकर थाने लाया गया और मौके से अभियुक्त रामावतार को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में विद्युत लाइन के एल्युमिनियम तारों की फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–1 है। अपनी **जिरह** में इस गवाह ने कहा है कि जब्तशुदा तारों पर विद्युत विभाग का कोई भी मार्का अंकित नहीं था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि मौके पर उसके सामने विद्युत विभाग के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को बुलाकर तारों के सम्बन्ध में कोई पूछताछ नहीं की गई तथा न ही जब्तशुदा तारों की किसी प्रकार की तस्दीक करवाई गई। गवाह ने यह स्वीकार किया कि जब्तशुदा तारों के कुल कितने बण्डल थे, इसका कोई अंकन प्रदर्श पी–1 में नहीं किया गया है। इसी प्रकार, प्रदर्श पी–1 में यह भी अंकित नहीं है कि मुलजिम के पास उक्त तारों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज थे अथवा नहीं। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि बरामदगी स्थल के सामने डालमाण की गौशाला स्थित है किन्तु स्वतन्त्र गवाह की तलबी हेतु उक्त गौशाला में नहीं जाया गया।गवाह ने यह भी स्पष्ट किया कि कंटेनर के केबिन में जो मोबाइल मिला था, वह उसके द्वारा नहीं लिया गया था बल्कि हेड कानि. महेन्द्र कुमार द्वारा लिया गया था। गवाह ने स्वीकार किया कि मुलजिम प्रभूराम का नाम वह मुलजिम रामावतार के बताए अनुसार ही बता रहा है।

(9) गवाह पी.डब्ल्यू. 3 नरेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2023 को वह थानाधिकारी, पुलिस थाना भालेरी के पद पर पदस्थापित था। इस गवाह ने बताया कि उसी दिन श्री महेन्द्र कुमार, हेड

कांस्टेबल द्वारा विद्युत लाइन के एल्युमिनियम तारों के बंडलों की फर्द बरामदगी, जिनका कुल वजन 50 क्विंटल 70 किलोग्राम था तथा जो कंटेनर नम्बर HR 57 A 8157 में लदे हुए पाए गए थे, अजाने मुलजिम रामावतार सिंह व अन्य के सम्बन्ध में फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–1 उसके समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर एफआईआर प्रदर्श पी–2 दर्ज की गई। इस गवाह ने कहा कि इसके पश्चात उसके द्वारा प्रकरण का अनुसन्धान प्रारंभ किया गया तथा दौराने अनुसन्धान घटना स्थल पर पहुँचकर नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 तैयार किया गया, जिसका हालात मौका प्रदर्श पी–4ए है। इस गवाह ने बताया कि अनुसन्धान के दौरान उसके द्वारा गवाह महेन्द्र कुमार, शंकरलाल, बलवीर, संदीप कुमार, कृष्ण कुमार एवं ओंकारमल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। इस गवाह ने कहा कि दौराने अनुसन्धान अभियुक्त प्रभूराम को गिरफ्तारी फर्द प्रदर्श पी–7 के तहत गिरफ्तार किया गया तथा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी–8 प्राप्त की गई। इस गवाह ने आगे बताया कि अभियुक्त रामावतार की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी–9 तथा अभियुक्त प्रभूराम की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी–10 प्राप्त की गई। इस गवाह ने कहा कि घटना स्थल तस्दीक का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 तैयार किया गया, जिसका हालात मौका प्रदर्श पी–6ए है। इस गवाह ने बताया कि समस्त अनुसन्धान पूर्ण होने के पश्चात उसके द्वारा अभियुक्त रामावतार एवं प्रभूराम के विरुद्ध धारा 136 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपराध प्रमाणित मानते हुए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपनी **जिरह** में इस गवाह ने यह स्वीकार किया कि जब्तशुदा तार विद्युत विभाग के हों, इस सम्बन्ध में उसके द्वारा विद्युत विभाग के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से न तो तस्दीक करवाई गई और न ही शिनाख्त करवाई गई। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसके द्वारा विद्युत विभाग से कोई स्टॉक रजिस्टर प्राप्त नहीं किया गया था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि ऐसे तार बाजार में मिल सकते हैं। उसके द्वारा विद्युत विभाग से ऐसा कोई भी रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध होता हो कि उक्त तार विद्युत विभाग के ही थे। गवाह ने यह स्वीकार किया कि जिन विद्युत लाइनों से बरामदशुदा तार काटे जाने का कथन किया गया है, उन स्थानों पर जाकर उसके द्वारा तारों का कोई मिलान नहीं किया गया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 पर किसी भी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

(10) गवाह पी.डब्ल्यू. 4 बलवीर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2023 को वह पुलिस थाना भालेरी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। इस गवाह ने बताया कि उसी दिन प्रातः लगभग 4.20 बजे वह श्री महेन्द्र, हेड कांस्टेबल तथा श्री शंकरलाल, कांस्टेबल के साथ सरकारी जीप से गश्त इलाका थाना हेतु रवाना हुआ, जिनके साथ अनुसन्धान बॉक्स,

लैपटॉप, बैटरी, प्रिंटर आदि भी थे। इस गवाह ने कहा कि गश्त के दौरान जब वे मेहरी गांव पहुँचे, तब औंकारमल, संदीप एवं कृष्ण कुमार कांस्टेबल, जो विद्युत लाइनों की निगरानी हेतु पूर्व में रवाना हो चुके थे, उनमें से औंकारमल कांस्टेबल द्वारा मोबाइल फोन से महेंद्र हेड कांस्टेबल को सूचना दी गई कि कानड़वास से मेहरी की ओर एक कंटेनर आ रहा है, जिसमें संदिग्ध वस्तु हो सकती है तथा वे उसका पीछा कर रहे हैं। इस गवाह ने बताया कि उक्त सूचना से महेंद्र हेड कांस्टेबल ने साथ मौजूद कर्मचारियों को अवगत करवाया और प्रातः लगभग 5.30 बजे जब वे कानड़वास से डालमाण गांव की ओर जाने वाली सड़क पर पहुँचे, तो कानड़वास की ओर से आता हुआ कंटेनर नम्बर HR 57 A 8157 दिखाई दिया, जिसे रुकवाया गया। इस गवाह ने कहा कि कंटेनर रुकवाने पर चालक की सीट के पास बैठा एक व्यक्ति उतरकर भागने लगा, जिसका पीछा किया गया, परंतु वह पकड़ा नहीं जा सका। इस गवाह ने बताया कि कंटेनर चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रामावतार निवासी पहाड़सर बताया तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम प्रभूराम निवासी नाकरासर बताया। इस गवाह ने कहा कि पूछताछ में रामावतार ने कंटेनर में 400 केवी डबल सर्किट विद्युत तारों के बंडल भरे होना बताया, जिन्हें कानड़वास की रोही से भरना बताया गया। इस गवाह ने कहा कि कंटेनर की तलाशी हेतु स्वतन्त्र मोतबीर बुलाने का प्रयास किया गया, परंतु कोई उपलब्ध नहीं हुआ, जिस पर मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने आपस में तलाशी देकर कंटेनर की तलाशी ली, जिसमें विद्युत तारों के बंडल पाए गए। इस गवाह ने बताया कि कंटेनर के केबिन से एक मोबाइल फोन मिला, जिसे चालक रामावतार ने प्रभूराम का होना बताया। इस गवाह ने कहा कि मुलाजमान की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कांटे से विद्युत तारों का वजन किया गया, जो कुल 50 क्विंटल 70 किलोग्राम पाया गया। इस गवाह ने बताया कि कंटेनर के केबिन में मिले मोबाइल फोन को मौके पर जब्त किया गया तथा विद्युत तारों को भी जब्त कर उसी कंटेनर में रखकर थाने लाया गया, और मौके से अभियुक्त रामावतार को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में विद्युत लाइन के एल्युमिनियम तारों की फर्द बरामदगी प्रदर्श पी –1 है। अपनी **जिरह** में इस गवाह ने यह स्वीकार किया कि जब्तशुदा तारों पर विद्युत विभाग का कोई भी मार्का अंकित नहीं था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसके सामने विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी से तारों के सम्बन्ध में कोई पूछताछ नहीं की गई तथा न ही जब्तशुदा तारों की तस्दीक करवाई गई। गवाह ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी –1 में यह अंकित नहीं है कि मुलजिम के पास उक्त तारों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज थे अथवा नहीं। प्रदर्श पी–4 नक्शा मौका के अनुसार बरामदगी स्थल एक आम सड़क है, जिस पर वाहनों का आवागमन रहता है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि बरामदगी स्थल के सामने डालमाण की गौशाला स्थित है किन्तु स्वतन्त्र गवाह की तलबी हेतु उक्त गौशाला में नहीं जाया गया।

(11) गवाह पी.डब्ल्यू. 5 औंकारमल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2023 को वह पुलिस थाना भालेरी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। इस गवाह ने बताया कि उसी दिन रात्रि लगभग 12 बजे वह कृष्ण कुमार एवं संदीप के साथ एक निजी वाहन से थाना क्षेत्र में गश्त हेतु रवाना हुआ। गश्त के दौरान जब वे मौजा मेहरी पहुँचे, तो एक कंटेनर नम्बर HR–57–A–8157 आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। इस गवाह ने कहा कि उक्त कंटेनर में किसी संदिग्ध वस्तु के होने का शक होने पर उसके द्वारा महेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल को मोबाइल फोन से सूचना दी गई। इसके पश्चात उक्त कंटेनर का पीछा किया गया और प्रातः लगभग 5.30 बजे जब वे कानड़वास से डालमाण जाने वाली सड़क पर पहुँचे, तो महेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल द्वारा कंटेनर को रुकवाया गया, जिसमें यह गवाह भी पीछे–पीछे मौजूद था। इस गवाह ने बताया कि कंटेनर रुकवाने पर चालक के पास बैठा एक व्यक्ति उतरकर भागने लगा, जिसका इस गवाह तथा कृष्ण कुमार द्वारा पीछा किया गया, किंतु वह पकड़ा नहीं जा सका। इस गवाह ने कहा कि कंटेनर चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रामावतार निवासी पहाड़सर, तहसील राजगढ़ बताया तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम प्रभूराम निवासी नाकरासर बताया। इस गवाह ने आगे बताया कि पूछताछ में रामावतार ने कंटेनर में 400 केवी डबल सर्किट विद्युत तारों के बंडल भरे होना बताया, जिन्हें कानड़वास की रोही से भरकर लाना बताया गया। इस गवाह ने कहा कि कंटेनर की तलाशी हेतु स्वतन्त्र मोतबीर बुलाने का प्रयास किया गया, परंतु कोई उपलब्ध नहीं हुआ, जिस पर इस गवाह एवं धर्मपाल को मोतबीर बनाया गया और तत्पश्चात मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों द्वारा आपस में तलाशी देकर कंटेनर की तलाशी ली गई, जिसमें विद्युत तारों के बंडल पाए गए। इस गवाह ने बताया कि कंटेनर के केबिन से एक मोबाइल फोन मिला, जिसे चालक रामावतार ने प्रभूराम का होना बताया। इस गवाह ने कहा कि कंटेनर में भरे विद्युत तारों के बंडलों का इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन किया गया, जो कुल 50 क्विंटल 70 किलोग्राम पाया गया। इस गवाह ने बताया कि कंटेनर के केबिन में मिले मोबाइल फोन को मौके पर जब्त किया गया, विद्युत तारों को भी जब्त कर उसी कंटेनर में रखकर थाने लाया गया, तथा मौके से अभियुक्त रामावतार को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में विद्युत लाइन के एल्युमिनियम तारों की फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–1, अभियुक्त रामावतार की फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी–3, मोबाइल फोन की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–11 तथा कंटेनर नम्बर HR–57–A–8157 की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–12 है। अपनी **जिरह** में इस गवाह ने यह स्वीकार किया कि जब्तशुदा तारों पर विद्युत विभाग का कोई भी मार्का अंकित नहीं था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि मौके पर उसके सामने विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को बुलाकर तारों के सम्बन्ध में कोई पूछताछ नहीं की गई तथा न ही जब्तशुदा तारों की तस्दीक करवाई गई।

गवाह ने यह स्वीकार किया कि जब्तशुदा तारों के कुल कितने बण्डल थे, इसका कोई अंकन प्रदर्श पी–1 में नहीं किया गया है। इसी प्रकार, प्रदर्श पी–1 में यह भी अंकित नहीं है कि मुलजिम के पास उक्त तारों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज थे अथवा नहीं। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि जब्तशुदा कंटेनर में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं मिला था। कंटेनर में मिला मोबाइल मुलजिम प्रभूराम का होना, गवाह द्वारा मुलजिम रामावतार के बताए अनुसार ही बताया गया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त रामावतार की जामा तलाशी तथा जब्तशुदा कंटेनर से रामावतार का स्वयं का कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि रामावतार की जामा तलाशी में एक मोबाइल मिला था, जिसे मौके पर जब्त नहीं किया गया तथा न ही उसका कोई उल्लेख प्रदर्श पी–1 में किया गया है। गवाह ने यह भी स्पष्ट किया कि कंटेनर के केबिन में जो मोबाइल मिला था, वह उसके द्वारा नहीं लिया गया था बल्कि हेड कानि. महेन्द्र कुमार द्वारा लिया गया था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि मुलजिम प्रभूराम का नाम वह मुलजिम रामावतार के बताए अनुसार ही बता रहा है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि बरामदगी स्थल के सामने डालमाण की गौशाला स्थित है किन्तु स्वतन्त्र गवाह की तलबी हेतु उक्त गौशाला में नहीं जाया गया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि मुलजिमान द्वारा तार काटते हुए किसी व्यक्ति ने स्वयं देखा हो, ऐसी कोई जानकारी उसे किसी के द्वारा नहीं दी गई थी।

(12) बहस अन्तिम सुनी गई।

(13) विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप सन्देह से परे साबित है। दिनांक 01.07.2023 को प्रातः लगभग 5.30 बजे अभियुक्तगण के कब्जे से वाहन संख्या HR–57–A–8157 में 50 क्विंटल 70 किलोग्राम विद्युत लाइन के एल्यूमिनियम तार बरामद हुए, जो अत्यधिक मात्रा में थे और सामान्य उपयोग हेतु नहीं माने जा सकते। अभियोजन के समस्त गवाह, विशेष रूप से पीडब्ल्यू–1 महेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू–2 कृष्ण कुमार, पीडब्ल्यू–4 बलवीर एवं पीडब्ल्यू–5 ओंकारमल ने अपने मुख्य कथनों में घटना के समय, स्थान, वाहन संख्या, अभियुक्त रामावतार की गिरफ्तारी तथा कंटेनर से विद्युत तारों की बरामदगी को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है। सभी गवाहान के कथन आपस में संगत एवं घटनाक्रम के सम्बन्ध में एकरूप हैं। यह भी बहस रही है कि वाहन को रोकने पर एक अभियुक्त प्रभूराम मौके से फरार हो गया, जो अभियुक्तगण की आपराधिक मनःस्थिति को दर्शाता है। अभियुक्त रामावतार द्वारा कंटेनर में भरे तारों के सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कंटेनर अथवा स्वयं अभियुक्त के पास कोई स्वामित्व सम्बन्धी कागजात पाए गए। अभियुक्तगण द्वारा तारों के वैध स्त्रोत का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया

गया। अभियोजन गवाहान ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वतन्त्र गवाह बुलाने का प्रयास किया गया किन्तु कोई उपलब्ध नहीं हुआ। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप सन्देह से परे सिद्ध होते हैं और उन्हें दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

(14) इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सभी अभियोजन गवाहान ने जिरह में एकस्वर से स्वीकार किया है कि जब्तशुदा तारों पर विद्युत विभाग का कोई भी मार्का अंकित नहीं था। न तो किसी विद्युत विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को मौके पर बुलाकर तारों की तस्दीक करवाई गई और न ही किसी प्रकार का स्टॉक रजिस्टर या रिकॉर्ड प्राप्त किया गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त तार वास्तव में विद्युत विभाग की संपत्ति थे। उनकी यह भी बहस रही है कि बरामदगी की प्रक्रिया स्वयं संदेहास्पद है। जब्तशुदा तारों के कुल बण्डलों की संख्या का उल्लेख फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 में नहीं है। अभियुक्त के पास दस्तावेज थे या नहीं, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 पर किसी भी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि बरामदगी स्थल के सामने गौशाला स्थित थी, फिर भी वहां से किसी को स्वतन्त्र गवाह नहीं बनाया गया। उनका यह भी निवेदन रहा है कि किसी भी अभियोजन गवाह ने यह नहीं कहा कि उसने अभियुक्तगण को विद्युत लाइन काटते हुए स्वयं देखा हो। कथित अपराध का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अभियुक्त प्रभूराम की पहचान भी केवल सह–अभियुक्त रामावतार के कथन पर आधारित है, जिसे किसी स्वतन्त्र साक्ष्य से पुष्ट नहीं किया गया। मोबाइल फोन की बरामदगी, स्वामित्व एवं जब्ती की प्रक्रिया भी विरोधाभासी है, किसी मोबाइल का उल्लेख फर्द में नहीं है, किसी को मौके पर जब्त नहीं किया गया और स्वामित्व केवल कथन मात्र पर आधारित है। यह भी बहस रही है कि कथित चोरी वाले विद्युत लाइन के स्थान पर जाकर वहां से काटे गए तारों के अवशेषों का, जब्तशुदा तारों से भौतिक एवं तकनीकी रूप से मिलान किया जाता किन्तु ऐसा कोई मिलान न तो मौके पर किया गया और न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी कार्यवाही पत्रावली पर प्रस्तुत की गई। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

(15) बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या एक हेतु अभियुक्त रामावतार के सम्बन्ध में साक्ष्य का विवेचनः–</u>

(16) अभियुक्त रामावतार के विरुद्ध अभियोजन का मुख्य आरोप यह है कि दिनांक 01.07.2023 को वह कंटेनर संख्या HR–57–A–8157 का चालक था तथा उक्त कंटेनर से 50 क्विंटल 70 किलोग्राम एल्युमिनियम विद्युत तार बरामद हुए, जिन्हें अभियोजन के अनुसार विद्युत विभाग की लाइन से

काटकर चोरी किया गया था। अभियोजन के गवाह पी.डब्ल्यू.1 महेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू.2 कृष्ण कुमार, पी.डब्ल्यू.4 बलवीर तथा पी.डब्ल्यू.5 ओंकारमल ने अपने मुख्य कथनों में यह अवश्य कहा है कि उक्त कंटेनर को रोकने पर अभियुक्त रामावतार चालक सीट पर पाया गया तथा उसे मौके से गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार अभियुक्त रामावतार का वाहन के चालक के रूप में मौके पर होना साक्ष्य से स्थापित होता है। तथापि अभियुक्त रामावतार के विरुद्ध अभियोजन को यह भी सन्देह से परे सिद्ध करना आवश्यक था कि कंटेनर में भरे हुए तार वास्तव में विद्युत विभाग की संपत्ति थे तथा उन्हें किसी विद्युत लाइन से काटकर चोरी किया गया था। इस संदर्भ में अभियोजन के सभी मुख्य गवाहान ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जब्तशुदा तारों पर विद्युत विभाग का कोई भी मार्का अथवा पहचान चिह्न अंकित नहीं था। अनुसन्धान अधिकारी पी.डब्ल्यू.3 नरेन्द्र कुमार ने भी यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा विद्युत विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी को बुलाकर जब्तशुदा तारों की शिनाख्त अथवा तस्दीक नहीं करवाई गई। इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग से कोई स्टॉक रजिस्टर अथवा ऐसा कोई रिकॉर्ड भी प्राप्त नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध होता हो कि कथित तार विभागीय संपत्ति थे।

(17) यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियोजन यह स्थापित नहीं कर सका कि कथित तार किस विद्युत लाइन, किस स्थान अथवा किस खम्भे से काटे गए थे। अनुसन्धान अधिकारी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा किसी स्थान विशेष पर जाकर कटे हुए तारों का मिलान जब्तशुदा तारों से नहीं किया गया। न तो किसी स्थान को चोरी का स्थल बताया गया और न ही यह दर्शाया गया कि घटना के कारण किसी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई हो। इस प्रकार चोरी की मूल घटना ही स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हो पाती। बरामदगी की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी कई महत्वपूर्ण त्रुटियाँ सामने आती हैं। फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 में जब्तशुदा तारों के कुल बण्डलों की संख्या तक अंकित नहीं की गई है। इसी प्रकार यह भी अंकित नहीं है कि अभियुक्त रामावतार के पास उक्त तारों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज थे या नहीं। बरामदगी स्थल एक सार्वजनिक सड़क बताया गया है जिसके सामने गौशाला स्थित है, किन्तु इसके बावजूद किसी स्वतन्त्र व्यक्ति को मोतबीर गवाह के रूप में शामिल नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में केवल पुलिस गवाहों के आधार पर की गई बरामदगी की विश्वसनीयता स्वतः सन्देह के घेरे में आ जाती है।

(18) इस प्रकार यद्यपि अभियुक्त रामावतार का वाहन के चालक के रूप में मौके पर होना सिद्ध होता है, तथापि अभियोजन यह सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कंटेनर में भरे हुए तार वास्तव में विद्युत विभाग की संपत्ति थे अथवा उन्हें चोरी करके ले जाया जा रहा था। मात्र वाहन में तारों का पाया

जाना धारा 136 विद्युत अधिनियम के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता, जब तक कि उन तारों का विभागीय संपत्ति होना तथा चोरी का तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित न हो। अतः उपलब्ध साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्त रामावतार के विरुद्ध आरोपित अपराध को सन्देह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

<u>अभियुक्त प्रभूराम के सम्बन्ध में साक्ष्य का विवेचनः–</u>

(19) अभियुक्त प्रभूराम के सम्बन्ध में अभियोजन का कथन यह है कि वह भी उक्त कंटेनर में सवार था तथा वाहन को रुकवाने पर मौके से उतरकर भाग गया। तथापि इस सम्बन्ध में उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त प्रभूराम की पहचान एवं उसकी संलिप्तता अत्यंत कमजोर एवं संदेहास्पद साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन के किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि वह अभियुक्त प्रभूराम को पूर्व से जानता था अथवा उसने स्वयं उसे पहचान कर उसका नाम बताया हो। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है कि वाहन से उतरकर भागने वाले व्यक्ति की पहचान केवल सह–अभियुक्त रामावतार के कथन पर आधारित है। सभी अभियोजन गवाहान ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रभूराम का नाम अभियुक्त रामावतार के बताए अनुसार ही बताया है। अर्थात् अभियुक्त प्रभूराम को इस प्रकरण में मात्र सह–अभियुक्त के कथन के आधार पर ही मुलजिम बनाया गया है। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि सह –अभियुक्त का कथन अपने आप में किसी अन्य अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता, जब तक कि उसे किसी स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य से पुष्ट न किया जाए।

(20) इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई स्वतन्त्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अभियुक्त प्रभूराम वास्तव में उक्त कंटेनर में सवार था अथवा वह घटना में किसी प्रकार से संलिप्त था। कंटेनर के केबिन से कथित रूप से बरामद मोबाइल फोन को भी प्रभूराम का होना केवल अभियुक्त रामावतार के कथन के आधार पर बताया गया है, जिसका समर्थन किसी दस्तावेजी या तकनीकी साक्ष्य से नहीं किया गया। इस प्रकार मोबाइल फोन की बरामदगी भी अभियुक्त प्रभूराम की संलिप्तता सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पूर्व में भी उल्लेख किया गया है, अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि जब्तशुदा तार वास्तव में विद्युत विभाग की संपत्ति थे अथवा उन्हें किसी विद्युत लाइन से काटा गया था। जब मूल अपराध ही सन्देहास्पद हो जाता है, तब मात्र इस आधार पर कि कोई व्यक्ति मौके से भाग गया, उसे अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विशेष रूप से तब, जब उसकी पहचान भी केवल सह–अभियुक्त के कथन पर आधारित हो। अतः उपलब्ध साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह

स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रभूराम को इस प्रकरण में मात्र सह –अभियुक्त रामावतार के कथन के आधार पर ही अभियुक्त बनाया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई स्वतन्त्र, ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त प्रभूराम को सन्देह का लाभ दिया जाना न्यायोचित है।

(21) उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को सन्देह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः विचारणीय प्रश्न संख्या एक अभियुक्तगण के पक्ष में तथा अभियोजन के विरुद्ध तय किया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या – दो</u>

(22) विचारणीय प्रश्न संख्या एक के विवेचनाधीन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 136 विद्युत अधिनियम के आरोप सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण दोषमुक्ति के पात्र हैं।

–: <u>आ दे श</u> :–

(23) अतः अभियुक्तगण रामवतार पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी पहाड़सर पीएस राजगढ़ जिला चूरू व प्रभूराम पुत्र नन्दराम उम्र 36 वर्ष निवासी नाकरासर पीएस रतननगर जिला चूरू को धारा 136 विद्युत अधिनियम के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

(24) अभियुक्तगण इस मामले में न्यायालय जमानत पर है जिनके न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निरस्त किए जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत मालखाना या सम्बन्धित थाना में यदि जमा हो तो उनका बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलकें धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आगामी छः माह तक अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रभावी रहेंगें।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश,
विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम मामलात)
(सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान)

(25) निर्णय व आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश,
विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम मामलात)
(सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान)